


गंगमूल डेयरी  
श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन  
Tele No. 01552-260522, Fax No. 01552-262847

कमांक: गंगमूल / पीएण्डए / 2023-24 / 11895-900

दिनांक: -20.02.2024

ई-निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ द्वारा दैनिक दर पर एक वर्ष के लिए अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में) निविदायें वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते हैं। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाईट [www.sriganganagarmilkunion.com](http://www.sriganganagarmilkunion.com) or SPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

  
(उग्रसेन सहारण)  
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपी :-

1. संपादक दैनिक .....को भेजकर लेख है कि आप उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के लोगों सहित प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रबन्धक प्रणांली, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर।
3. प्रभारी संयंत्र/पीएण्डए/लेखा।
4. अतिरिक्त निजी सचिव।
5. प्रभारी एमआईएस - कृपया संघ की वेबसाईट SPP Portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।
6. नोटिस बोर्ड।

  
प्रबंध संचालक



मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य है।

Sign. & Seal of Tenderer

# **E-TENDER**

FOR

**SUPPLY OF SKILLED/UNSKILLED & SEMI SKILLED LABOUR**

**TENDER ID No.:**

**SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.,**

INDUSTRIAL AREA, PHASE Ist, HANUMANGARH JN. 335512

**Tele No. (01552): 260522,**

**E MAIL- gngmu-rj@nic.in**

**GST NO. 08AAAAS3423N1ZC**

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

**Sign. & Seal of Tenderer**

- 1 -

गंगमूल डेयरी  
श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन  
Tele No. 01552-260522, Fax No. 01552-262847

कमांक:गंगमूल/पीएण्डए/2023-24/11895-900

दिनांक:-20.02.2024

ई-निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ द्वारा दैनिक दर पर एक वर्ष के लिए अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में) निविदायें वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार डाउन लोड कर दिनांक 13.03.2024 सांय 5.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र का प्रथम भाग दिनांक 14.03.2024 को सुबह 11.00 ए.एम. पर संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निर्देशानुसार अमानत राशि (रु 3,00,000/- श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के नाम डी.डी. के रूप में), निविदा शुल्क जीएसटी सहित (रु 1180/- श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के नाम डी.डी. के रूप में) तथा प्रोसेसिंग शुल्क जीएसटी सहित रु 2000/- MD, RISL, Jaipur के नाम डी.डी. के रूप में) संघ के पीएण्डए कार्यालय में दिनांक 13.03.2024 को 02.00 पी.एम. तक जमा करवानी होगी अन्यथा जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र दो भागों में है। जो निविदादाता प्रथम भाग में सफल रहेगा, उन्ही निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के द्वितीय भाग को खोला जावेगा। किसी भी ई-निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के पास सुरक्षित है।

(उग्रसेन सहारण)  
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपी :-

1. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, जयपुर।
2. प्रभारी संयंत्र/पीएण्डए/लेखा।
3. अतिरिक्त निजी सचिव।
4. प्रभारी एमआईएस - कृपया संघ की वेबसाईट SPP Portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।

प्रबंध संचालक

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुनी हैं तथा मुझे/हमें मान्य है।

Sign. & Seal of Tenderer

**SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,  
HANUMANGARH JN**

**INSTRUCTION FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS:-**

1. The bidders who are intersted in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>, To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-scheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D. D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer .
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly by tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.  
Help Desk Mobile:- +91-7878007972, +91-7878007973 or 180030702232  
E-mail:- [eproc@rajasthan.gov.in](mailto:eproc@rajasthan.gov.in)
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
8. Please read carefully the steps of submitting tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads".



मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

Sign. & Seal of Tenderer

**SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,**  
**Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512**  
**Tele No. 01552-260522**  
**E-mail : [gngmu-rj@nic.in](mailto:gngmu-rj@nic.in)**

**Important Date and Time**

<b>S.No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Date/Time</b>
1.	Date & time of Uploading tender form by Sriganganagar ZDUSS LTD Hanumangarh	20.02.2024 at 06:00 PM
2.	Date & time of Start of Uploading tender by tenderer	20.02.2024 at 06:00 PM
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	13.03.2024 at 05:00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
I	EMD Rs. 3,00,000/- by DD in the name of SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., Hanumangarh	13.03.2024 at 02:00 PM
II	Tender form fee Rs. 1180/- by DD in the name of SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., Hanumangarh	13.03.2024 at 02:00 PM
III	E-tender processing fee Rs. 2000/- by DD in the name of MD, RISL, Jaipur	13.03.2024 at 02:00 PM
5.	Notary Attested Stamp paper related with page No. 21,22 & 23 to be submitted in Physical form in the office of Managing Director	13.03.2024 at 02:00 PM
6.	Date & time of opening of technical-bid	14.03.2024 at 11:00 AM
7.	Date & time of opening of financial bid	To be informed later



मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

Sign. & Seal of Tenderer

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	NIT	2-3
2.	Instructions for submission of E-tender form & documents	4
3.	Important date & time	5
4.	Tender form details	7-8
5.	Points to be considered for technical qualification	9
6.	Check list of documents to be submitted	10
7.	General Instructions & Eligibility Criteria	11-12
8.	Terms and Condition	13-17
9.	Annexures	18-23
8.	BOQ (Financial Bid)	24



मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

**SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,**  
**Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512**  
**Tele No. 01552-260522**  
**E-mail : gngmu-rj@nic.in**

**Part 1**  
**Technical Bid**

**Tender Form**

SUBJECT:- ONE YEAR RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF SKILLED/ UNSKILLED & SEMI SKILLED LABOUR AT SRIGANGANAGAR ZDUSS LTD., HMH & ITS CHILLING CENTER

TENDER PROCESSING FEES Rs. 2000/- (Two Thousand Only) by DD in the name of MD.RISL,JAIPUR

TENDER FORM FEES With GST:- Rs. 1180/- (One Thousand One Hundred Eighty Only) by DD in the name of SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., Hanumangarh

EMD:- Rs 300000/- (Three Lac Only) by DD in the name of SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., Hanumangarh

Passport Size  
Photograph

1. Name & Full Address of the Firm

: \_\_\_\_\_

Submitting the tender (in Block Letters)

: \_\_\_\_\_

Landline Phone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_

E-mail id: \_\_\_\_\_

2. Name & Address of Authorized Contact Person

: \_\_\_\_\_

Mobile No. of Authorized Contact Person

: \_\_\_\_\_

E-mail of Authorized Contact Person

: \_\_\_\_\_

3. Addressed to

: The Manging Director,  
Sriganganagar ZDUSS Ltd.,  
Industrial Area,  
Hanumangarh Junction

4. Income Tax PAN No.(PHOTO COPY)

: \_\_\_\_\_

5. GST No. (PHOTO COPY)

: \_\_\_\_\_

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

- 7 -

Sign. & Seal of Tenderer

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

6. Aadhaar Card No. (PHOTO COPY) : \_\_\_\_\_
7. PF No. (PHOTO COPY) : \_\_\_\_\_
8. ESI No. (PHOTO COPY) : \_\_\_\_\_
9. Experience Certificate(PHOTO COPY) : \_\_\_\_\_
10. Registration no of Labour dept. (PHOTO COPY) : \_\_\_\_\_  
(if not registered than submit before first payment bill)
11. Income Tax Return (Last two years photocopy) : \_\_\_\_\_
12. RTGS/NEFT Details:
- a.) Beneficiary Bank Name & Address : \_\_\_\_\_
- b.) Beneficiary Bank IFSC Code : \_\_\_\_\_  
Party Name & Address : \_\_\_\_\_
- c.) Party Bank A/C No. : \_\_\_\_\_
13. Name and Address of owner /Partner/Director : \_\_\_\_\_  
(Designation and status in the firm) along : \_\_\_\_\_  
with E-mail id, Address proof, ID proof)
14. A self attested photocopy of power of attorney issued by Owner/All partners/Directors in favour of nomination person to sign and execute the tender/contract.
15. I/WE agree to abide by all the terms & conditions mentioned in the Tender Notice issued by Managing Director, SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh and the other conditions annexed with the tender form, all the pages of Which have been signed by me/us in token of my/our Acceptance of the terms and conditions mentioned therein.
16. Details of fee deposited offline in physical form in the office of Managing Director
- |                          | Amount         | DD no./CR no. | Dated |
|--------------------------|----------------|---------------|-------|
| a. Tender form fee       | Rs. 1180/-     | _____         | _____ |
| b. EMD                   | Rs. 3,00,000/- | _____         | _____ |
| c. Tender processing fee | Rs. 2000/-     | _____         | _____ |



मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्त पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।



**POINTS TO BE CONSIDERED FOR TECHNICAL QUALIFICATION:-**

1. D.D. of EMD, Tender fees & Processing fees must be submitted in time without which tender form will not be accepted.
2. Tenderers having any case pending against Sriganaganar Milk Union or its officers/ employees (pertaining to working of Dairy) will not be accepted.
3. Tenderers having any case against them by Sriganaganar Milk Union shall be rejected.
4. Rates are to be quoted only in prescribed BOQ format.
5. Tenderers who have been blacklisted/ termination of agreement in past by GANGMUL or any other RCDF milk union shall not be considered for this tender.
6. Tenderers having any financial dealing with any of the employees of milk union as on date of submission of tender shall not be considered
7. Tenders of any of the officer/ employee/ board member of Sriganaganar ZDUSS Ltd or their blood Relatives (as per Hindu family act) will not be accepted.
8. Tenders of any insolvent/ adolescent/ mentally retarded firm/ person shall will not be accepted. Tenders of any person/ firm working in same / similar Competitive business will not be accepted.

*Handwritten signatures in blue ink.*

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

### A check list of documents required to be submitted

(Each Tenderer is required to attached copies of following documents failing which the tender will become liable for no further consideration/evaluation)

Sr. No.	Particulars	Cover
1.	Duly filled tender form with signature on each page of Tender Document/copy	Cover -A
2.	Copy of PAN card	Cover- A
3.	Copy of GST No., License No. of Contract Labour (R & A) Act, 1970 (Contractor), PF Registration No. & ESI Registration No., Rajasthan Domicile Proof.	Cover-A
4.	Documents of authorized contact person/firm (as per above point Number 1,2,3 & 9)	Cover-A
5.	DD of tender fee/EMD/processing fee	Cover –A
6.	Experience certificate (Attach work order photocopy)	Cover –A
7.	RTGS/ NEFT Daetails	Cover –A
8.	All other documents as required as per tender conditions	Cover –A
9.	Audited Balance Sheet of Two Year or Income Tax Return last two year (PC) 2021-22 & 2022-23	Cover –A
10.	Submit the rate statement in the prescribed format from given in the tender(BOQ).	Cover –B

*Handwritten signatures in blue ink.*

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

- 10 -

Sign. & Seal of Tenderer

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन  
फोन नं० 01552-260522

तकनीकी निविदा फार्म (भाग-‘अ’)

श्रमिक आपूर्ति हेतु कार्य की निविदा भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं पात्रता के मापदण्ड

1. अकुशल/अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिक आपूर्ति कार्य की ई-निविदा भरने एवं अनुबन्ध करने के लिये पात्र निविदादाताओं को निर्धारित प्रपत्र में निविदा शुल्क मय जीएसटी 1180/- रुपये संघ के नाम डी.डी तथा 2000/- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क मय जीएसटी MD, RISL, Jaipur के नाम डी.डी संघ में जमा कराने होंगे तथा ई-निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को उपयुक्त श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त कर वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भाग ले सकेंगे। निविदादाता द्वारा ई-निविदा के भाग-‘अ’ में अमानत राशि रुपये 3,00,000 (तीन लाख रुपये मात्र) का डी.डी. श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ के नाम से संलग्न करें। अमानत राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदादाता द्वारा सर्विस चार्ज/मेहनताना प्रतिशत में देना होगा। जीएसटी, नियोक्ता भविष्य निधी अंशदान, ईएसआई अंशदान पर सर्विस चार्ज/मेहनताना देय नहीं होगा तथा शून्य प्रतिशत/ऋणात्मक प्रतिशत सर्विस चार्ज/मेहनताना प्रस्तुत करने वाले निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। दरें शब्दों एवं अंकों में साफ-साफ लिखें किसी प्रकार की कांट-छांट या उसके ऊपर ठीक किया हुआ हो तो हस्ताक्षरित हो।
3. दर देने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद ही निविदा प्रस्तुत करें।
4. निविदा फार्म के साथ निविदादाता को अमानत राशि रुपये 3.00 लाख जमा कराने होंगे एवं निविदा/अनुबंध स्वीकृत होने पर गारन्टी के रूप में रुपये 15.00 लाख (रुपये 5.00 लाख डिमाण्ड ड्राफ्ट + 10.00 लाख एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में) संघ में जमा कराने होंगे। जिसमें 3.00 लाख निविदा पत्र के साथ जमा कराई राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। जमा धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, बैंक गारन्टी/एफडीआर की अवधि 02 वर्ष तक की होगी जो कि संघ के पक्ष में होनी चाहिए।
5. स्वीकृत निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में संघ में जमा रहेगी। असफल निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि निविदा के फाईनल होने के उपरान्त लौटाई जावेगी। अमानत राशि/धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रथम न्यूनतम दरदाता के अतिरिक्त तीन माह हेतु द्वितीय दर दाता की अमानत राशि भी रोकी जावेगी। किसी कारणवश यदि प्रथम निविदादाता तीन माह के अन्दर कार्य छोड़कर/डिफाल्टर होकर जाता है तो द्वितीय निविदादाता सभी कार्य निविदा में दी गयी अपनी दर पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा। अगर संघ उसकी दर स्वीकृत करता है तो।
6. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ अपना राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (मूल निवास/राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करनी होगी इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी एवं निविदा प्रपत्र में अपना पूरा नाम, पिता का नाम, एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर लिखना होगा।
7. ठेकेदार/एजेन्सी का भविष्य निधि, पैन न०, जीएसटी न० व ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कोड नम्बर होना अनिवार्य है। भविष्य निधि, पैन न०, जीएसटी न० व ईएसआई के पंजीकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। उक्त के अभाव में निविदा का भाग-ब नहीं खोला जायेगा।
8. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत सफल निविदादाता को प्रथम बिल भुगतान के पूर्व संघ में प्रस्तुत करना होगा।


मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली है तथा मुझे/हमें मान्य है।

- 11 -

Sign. & Seal of Tenderer



9. किसी भी निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र के बिना दी गयी निविदा दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही, निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित निविदा शर्तों के अनुरूप ही देनी होगी। यदि निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्त जोड़ता है तो वह मान्य नहीं होगी। निविदा स्वयं अथवा उसके प्रमाणित प्रतिनिधी के माध्यम से निर्धारित दिनांक व समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी। डाक/तार/ई-मेल तथा निर्धारित दिनांक व समयावधि के पश्चात निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता को कम से कम 02 वर्षों का किसी सहकारी दुग्ध संघ में श्रमिक आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। साक्ष्य स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अथवा कार्य आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी।
11. निविदादाता/ठेकेदार को विगत दो वर्षों की औसत टर्न ओवर रूपये 4.00 करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक का सीए से प्रमाणित प्रमाण-पत्र, दो वर्ष की ऑडिटेड बैलेंसशीट अथवा आयकर रिटर्न निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
12. निविदादाता/ठेकेदार को भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग से अपने डिफाल्टर नहीं होने का 100/-के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
13. निविदादाता द्वारा 100 रुपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लैक लिस्टेड ( काली सूची) नहीं होने व किसी भी विभाग से डिफाल्टर नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के भाग-अ में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा का भाग-ब नहीं खोला जायेगा। यदि अनुबन्धकर्ता के बारे में यह पाया जाता है कि किसी भी संघ अथवा राजकीय कार्यालय में पूर्व में अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं कर पाया है और किसी विभाग का डिफाल्टर होने की सूचना प्राप्त हुई तो संघ में जमा धरोहर राशि जब्त की गयी हो और उसका अनुबन्ध निरस्त किया गया हो, तो ऐसे निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निविदा में संघ स्टाफ/संचालक मण्डल सदस्य अथवा उसके कुटुम्ब के सदस्य भाग लेते हैं तो वे निविदा हेतु अयोग्य माने जावेंगे। कुटुम्ब (FAMILY) से अभिप्राय -पति, पत्नि और उन पर आश्रित संतानें और पति की विधवा माता, जो के उन पर आश्रित हो, से मिलकर बनने वाला कुटुम्ब अभिप्रेत हैं। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबन्ध को भी निरस्त किया जा सकता है।
15. ठेकेदार को निविदा स्वीकृत होने पर रूपये 1,000 (एक हजार) का नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा जो कि निविदा शर्तों अनुसार बढी हुई अवधि पर भी लागू रहेगा।



मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमे मान्य है।

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन  
फोन नं० 01552-260522

श्रमिक आपूर्ति हेतु कार्य की निविदा शर्तें

1. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिये मान्य होगी । अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि संघ को आवश्यकता हुई तो अनुबन्ध अवधि इसी दर व शर्तों पर प्रबन्ध संचालक गंगमूल द्वारा आर०टी०पी०पी० एक्ट 2012 के तहत नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है या नया अनुबंध होने तक जो भी पहले हो तक और बढ़ायी जा सकती है । जो ठेकेदार को मान्य होगा ।
2. यह अनुबन्ध पूर्णतः संघ के आकस्मिक एवं दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सम्पादित करवाने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए है। संघ का मुख्य कार्य दुग्ध संकलन, दुग्ध उत्पादों का निर्माण, विपणन इत्यादि गतिविधियां संचालित करना है । दूध प्रकृति की शीघ्र नष्ट होने वाली एवं संघ में कभी दूध आवक की मात्रा अधिक होती है तो कभी कम। इस कारण से संघ के कार्यों में उतार-चढ़ाव रहता है । तदनुसार अनुबन्धकर्ता को समय-समय पर श्रमिकों की बढ़ोतरी अथवा घटोतरी करने के निर्देश डेयरी प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। संघ के कार्यों में कमी होने पर ठेकेदार के नियोजन में कार्यरत ठेका श्रमिकों को हटाये जाने के निर्देश ठेकेदार को दिये जाते हैं तो ठेकेदार तुरन्त अपने श्रमिकों को संघ से हटायेगा। श्रम से हटाने पर यदि किसी ठेका श्रमिक द्वारा श्रम विभाग में शिकायत व न्यायालय में शिकायत व अन्य न्यायालय में शिकायत दायर की जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। समस्त न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले हर्जे-खर्चे के लिए ठेकेदार व्यक्तिगततौर से जिम्मेदार होगा।
3. संघ की आवश्यकतानुसार श्रमिक कार्य पर न लगाये जाने की स्थिति में प्रति श्रमिक 500/- रुपये प्रति समय (रोजाना कार्यकाल) से जुर्माना लगाने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा साथ ही कम श्रमिक लगाने या श्रमिकों द्वारा ठीक ढंग से कार्य सम्पादित नहीं करने के ऐवज में नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जावेगी। वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय जो होगा, उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
4. निविदा/अनुबंध स्वीकृत होने पर गारन्टी के रूप में रुपये 15.00 लाख (रुपये 5.00 लाख डिमाण्ड ड्राफ्ट + 10.00 लाख एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में) संघ में जमा कराने होंगे । जिसमें 3.00 लाख निविदा पत्र के साथ जमा कराई राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। जमा धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, बैंक गारन्टी/एफडीआर की अवधि 02 वर्ष तक की होगी जो कि संघ के पक्ष में होनी चाहिए।
5. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र ठेका श्रम अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत सफल निविदादाता को प्रथम बिल भुगतान के पूर्व संघ में प्रस्तुत करना होगा।
6. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कार्यरत कर्मिकों के सम्बंध में किसी प्रकार की ब्याज शास्ति, वसूली के लिए ठेकेदार/एजेन्सी वर्तमान व भविष्य में पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगा एवं इस प्रकार की वसूली की सूचना यदि भविष्य निधि विभाग अनुबन्ध अवधि में अथवा बाद में संघ को मिलती है तो उक्त वसूली ठेकेदार/एजेन्सी से की जावेगी एवं आवश्यकता पडने पर उक्त वसूली के लिए संघ कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने में स्वतंत्र रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/एजेन्सी स्वयं की होगी। ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद भी ईएसआई व पीएफ विभाग द्वारा ठेका अवधि का निरीक्षण किये जाने की स्थिति में भी ठेकेदार/एजेन्सी को अपने रिकार्डों का निरीक्षण करवाना होगा । ऐसे निरीक्षण के आधार पर यदि कोई उत्तरदायित्व बनता है तो वह ठेकेदार/एजेन्सी के द्वारा ही वहन किया जावेगा।
7. पीएफ निरीक्षक व ईएसआई निरीक्षक द्वारा चाहे गये रिकार्ड समय-समय पर जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रकार की कोई भी शिकायत को दूर करने का दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।



8. श्रमिक ठेकेदार को किसी भी परिस्थिति में संघ द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध को किसी भी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरण का अधिकार नहीं होगा।
9. श्रमिकों की सभी वैधानिक सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। श्रम विधि नियम, उपनियम व अधिसूचनायें आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को किये गये वास्तविक भुगतान राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दर पर एवं संघ द्वारा निर्धारित दर पर प्रमाणित उपस्थिति के अनुसार कुल राशि पर सर्विस चार्ज देय होगा जिससे नियमानुसार भुगतान पारित की व्यवस्था की जावेगी। ठेकेदार संघ के कार्यक्षेत्र में कहीं भी मांग के अनुसार श्रमिक आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।
11. प्रबन्ध संचालक उक्त अनुबन्ध को संघ के हित में बिना कारण बताये 15 दिवस के नोटिस पर समाप्त कर सकता है एवं प्रबन्ध संचालक को संघ के हित में वर्तमान अनुबन्ध किसी भी शर्त को विलोपित करने, शर्तों में छूट देने एवं ठेकेदार की सहमति से शर्तों में परिवर्तन करने अथवा नई शर्त लागू करने का अधिकार होगा।
12. कार्य आदेश प्राप्ति के पश्चात् निर्देशित अवधि में मांगी गयी संख्या में ठेका श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेका श्रमिकों की संख्या का निर्धारण समय-समय पर प्रबन्ध संचालक अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा किया जा सकेगा।
13. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक 18 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए तथा ठेका श्रमिक स्वस्थ एवं कार्य के लिए पूर्ण रूप से योग्य होने चाहिए। ठेकेदार अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच करवायेगा। अस्वस्थ श्रमिकों को कार्य पर नहीं रखेगा।
14. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ठेका श्रमिक आदतन अपराधी, अपराधिक रिकार्ड, पुलिस केस वाले श्रमिकों को संघ में कार्य पर नहीं लगायेगा। यदि ऐसे पाया जाता है तो ठेकेदार के विरुद्ध शास्ति आरोपित की जायेगी एवं ठेका भी निरस्त किया जा सकेगा।
15. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की मजदूरी का बिल प्रस्तुत करते समय पीएफ एवं ईएसआई के चालान भरकर प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार के बिल से श्रमिकों के पीएफ अंशदान की राशि 12 प्रतिशत एवं ईएसआई अंशदान की 0.75 प्रतिशत राशि अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमानुसार कटौती कर पीएफ/ईएसआई के चालान की राशि ठेकेदार के पीएफ/ईएसआई खातों में संघ द्वारा जमा करवायी जावेगी तथा शेष मजदूरी का पूर्णभरण ठेकेदार को किया जावेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि की निकासी अथवा श्रमिकों द्वारा अन्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार अपने नियोजन में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों को ई0एस0आई0 कार्ड उपलब्ध करवायेगा तथा ईएसआई कार्ड के अभाव में किसी भी ठेका श्रमिक के मेडिकल चिकित्सा/दुर्घटना के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा।
16. यह पाये जाने पर कि किसी भी राज्य एवं देश के कानून का उल्लंघन किया गया है तो ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. ठेका श्रमिकों की उपस्थिति संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रतिदिन श्रमिक ठेकेदार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से प्राप्त करेंगे तथा प्रमाणित करवाकर विभागाध्यक्षों से हस्ताक्षरित करवायेंगे। सम्बन्धित ठेका श्रमिक ठेकेदार प्रत्येक माह के समाप्त होने पर अगले माह की पन्द्रह तारीख तक मासिक बिल संघ की प्रशासनिक शाखा में प्रस्तुत करेगा।
18. ठेकेदार ठेका श्रम अधिनियम 1970 सहित सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत रखे जाने वाले सभी रिकार्ड भी रखेंगे। जिसमें कार्मिकों के नाम मय उनके पिता का नाम एवं निर्धारित भुगतान दर इत्यादि का उल्लेख होगा। कार्यालय द्वारा मांग करने पर यह पंजिका वह जांच हेतु उपलब्ध करवायेगा। कार्य पर आने वाले श्रमिकों की उपस्थिति स्वयं ठेकेदार के रजिस्टर में ठेकेदार के द्वारा नियमित रूप से रखनी आवश्यक होगी। इसमें वह विभागाध्यक्षों द्वारा प्रमाणित हाजरी संख्या और प्रत्येक श्रमिक की माहवार कुल हाजरी माह समाप्त होने पर अंकित करेगा तथा निर्धारित दर से उसका मासिक पारिश्रमिक अंकित करेगा तथा पी0 एफ0, ई0 एस0 आई0 एवं अन्य वैधानिक कटौतियों की राशि नियमानुसार कटौती कर भुगतान योग्य राशि अंकित करेगा। श्रम, फौक्री बॉयलर्स, पी0 एफ0, ई0 एस0 आई0 विभागों के द्वारा समय-समय किए जाने वाले निरीक्षणों में सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य है।

*(Handwritten signatures and marks)*

19. संघ के सिक्कोरिटी मैन गेट पर ठेकेदार द्वारा प्रत्येक ठेका श्रमिक के कार्य पर उपस्थित होने एवं कार्य समय पूर्ण होने पर डेयरी परिसर से बाहर जाने का समय अंकित किया जायेगा।
20. ठेका श्रमिक ठेकेदार अपने नियोजन में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों को परिचय पत्र देगा।
21. कार्यालय स्थल पर आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था हेतु ठेकेदार को स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कार्य व्यवस्था पर प्रत्येक पारी में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। अधिकृत किये गये व्यक्ति की सूचना कार्यालय में लिखित में देनी आवश्यक होगी एवं जिसकी प्रत्येक पारी में उपस्थित होना होगा अन्यथा प्रबन्ध संचालक द्वारा अपने विवेकानुसार जुर्माना किया जा सकता है।
22. अनुबंध की समाप्ति पर ठेकेदार की धरोहर राशि से किसी भी प्रकार की वैधानिक बकाया राशि की कटौती करने का पूर्ण अधिकार संघ को रहेगा व धरोहर राशि, बैंक गारण्टी लौटाने के लिए ठेकेदार को समस्त विभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इस आधार पर किसी प्रकार की बकाया होने पर धरोहर राशि, बैंक गारण्टी से कटौती की जा सकेगी। ठेका समाप्त होने पर इमडेनिटी बॉण्ड (500/-रुपये का) संघ कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त बॉण्ड में भविष्य में उसके ठेके सम्बन्धित किसी विवाद के लिए वह स्वयं बाध्य होने बाबत उल्लेख करेगा।
23. ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी श्रमिक का व्यवहार/कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर प्रभारी/विभागीय अधिकारी के निर्देश पर तत्काल हटाकर नये श्रमिक को लगाना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना किया जायेगा।
24. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक द्वारा संस्था में किसी प्रकार की हानि पहुचाते हुये पकड़े जाने पर हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार से वसूल की जावेगी एवं जुर्माना बीस गुणा तक किया जा सकता है।
25. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को भुगतान नियमानुसार राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार एवं संघ द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा। श्रमिकों द्वारा वेतन सम्बन्धित की गई शिकायत के प्रमाणित होने पर जुर्माना किया जा सकता है एवं ठेका भी निरस्त किया जा सकता है। वैकल्पित व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय जो भी होगा उसकी वसूली ठेकेदार से की जावेगी।
26. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबन्धन की सन्तुष्टि के स्तर का कार्य सम्पादन नहीं कर पाने अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने की स्थिति में प्रबन्ध संचालक गंगमूल को बिना किसी नोटिस अथवा कारण बताये श्रमिक ठेकेदार का सम्बन्धित ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा एवं ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/बैंक गारण्टी/एफडीआर/बकाया बिल जब्त किया जा सकेगा।
27. ठेकेदार को मासिक बिल का जीएसटी जमा करवाकर चालान की प्रति संघ में प्रस्तुत करनी होगी। जिसका संघ द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
28. ठेकेदार के बिलों से आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार टी0 डी0 एस0 कटौति कर भुगतान देय होगा।
29. यह कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति के द्वारा आद्योगिक विवाद अधिनियम, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम सहित किसी भी श्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मुकदमा किसी भी प्रकार के अनुतोष के लिये दायर किया जाता है तो उस मुकदमें में सभी प्रकार की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे किसी भी मुकदमें के आधार पर किसी प्रकार की आर्थिक जिम्मेदारी संघ पर आती है तो उसे प्रत्येक प्रकार से वहन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। संघ द्वारा ऐसी सभी राशियों की वसूली/कटौती ठेकेदार से की जा सकेगी।
30. यह है कि ठेकेदार कर्मचारियों को वेतन भुगतान ग्रेचयूटी, बोनस एवं अन्य सभी परिलाभों के लिये भुगतान करने की एक मात्र जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इन सब के लिये संघ कतई उत्तरदायी नहीं होगा।
31. श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिकों को स्वच्छ वर्दी (वर्दी संघ के सुझाव के अनुसार होगी) में आना होगा। सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच आई0 एस0 ओ0, FSSAI एवं हैसैप के प्रावधानों के अनुसार करवाने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
32. ठेकेदार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है क्योंकि ठेकेदार को स्वयं के स्रोत से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना है जिसका संघ द्वारा नियमानुसार पुर्नभरण किया जाना है किसी वैधानिक

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है।

*(Handwritten signatures and marks)*

औपचारिकता के कारण श्रमिकों के वेतन बिल में किन्हीं औपचारिकताओं के अपूर्ण रहने की दशा में संघ से भुगतान प्राप्त नहीं होने पर भी श्रमिकों को मासिक भुगतान समय पर करना होगा।

33. श्रमिकों को भुगतान प्रतिमाह की 7 तारीख तक करना होगा। उसके पश्चात ही संघ द्वारा ठेकेदार को बिल का भुगतान किया जावेगा। यदि ठेकेदार/एजेन्सी निर्धारित अवधि में परिश्रमिक भुगतान करने में चूक करता है तो 1000/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना किया जा सकेगा। निर्धारित पारिश्रमिक से कम भुगतान करता है तो उस परिस्थिति में संघ द्वारा बकाया राशि के दस गुणा तक की राशि की कटौति ठेकेदार के बिल में से की जा सकेगी और दो या अधिक बार इस प्रकार की कटौती होने की स्थिति में संबंधित ठेकेदार/एजेन्सी का ठेका निरस्त किया जा सकता है।
34. ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा निम्न अधिनियमों के प्रावधानों की पालना भी संख्ती से की जावेगी। अन्यथा ठेका शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।

1. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
3. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
4. भारतीय कारखाना अधिनियम
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
7. औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946
8. मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम, 1961
9. कान्ट्रैक्ट लेबर एबालिशन एण्ड रेग्यूलेशन अधिनियम, 1970
10. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
11. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
12. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम
13. अन्य श्रम अधिनियम जो संयंत्र पर लागू है।

उक्त समस्त प्रावधान ठेकेदार/एजेन्सी पर अनुबन्ध अनुसार ठेका अवधि में लागू रहेगी व उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कार्मिक को मुख्य रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का रहेगा व इस हेतु किसी प्रकार की जिम्मेदारी वसूली शास्ति ठेकेदार/एजेन्सी पर लगायी जाती है तो ठेकेदार/एजेन्सी से वर्तमान व भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया द्वारा नियुक्त श्रमिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। श्रमिकों के अस्वस्था होने या कार्य/सेवायें प्रबन्धन की सन्तुष्टि का नहीं होने पर प्रबन्धन/विभागीय प्रभारी के निर्देशानुसार ऐसे श्रमिकों की बदली किये जाने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

35. ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक को संघ का कार्मिक नहीं माना जावेगा। ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक के द्वारा औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अंतर्गत संघ के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा स्थायी नियोजन के लिए किया जाता है तो उसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ द्वारा ठेकेदार के किसी भी कार्मिक/श्रमिक को स्वयं के यहां किसी भी प्रकार से स्थायी नियोजन नहीं दिया जायेगा और स्वयं की सेवा में भी नियोजित नहीं किया जायेगा। ठेके के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिक किसी भी रूप में स्थाई नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
36. संघ में कार्य के दौरान आई0एस0ओ0, FSSAI व हैसैप के मापदण्डों के अनुसार स्वच्छता एवं आवश्यक निर्देशों की पालना श्रमिकों द्वारा किये जाने का दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
37. ठेकेदार /एजेन्सी को अपने मासिक भुगतान बिल में कार्यरत कार्मिक का नाम, पिता का नाम, भविष्य निधि सदस्यता क्रमांक का पूर्ण विवरण देना होगा व काम पर लगाने से पूर्व ठेकेदार/एजेन्सी कार्मिक से समस्त सम्बन्धित भविष्य निधि फार्मों की पूर्ति करायेगा। कार्मिकों द्वारा भराये गये फार्म निर्धारित अवधि में पीएफ, ईएसआई, कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे। उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने का दायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का रहेगा अन्यथा यह माना जावेगा कि पिछले माह कार्मिक ठेकेदार/एजेन्सी ने उक्त पूर्ति नहीं की है व तदनुसार ठेका शर्तों का उल्लंघन मानकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
38. यह है कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी/श्रमिक के कार्य का सुपरवीजन, कन्ट्रोल, डायरेक्शन, वेतन, भुगतान/अन्य देय परिलाभों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
39. संघ परिसर में धूम्रपान/खाना-पीना/सोना/लेटना सख्त मना है जिसकी पालना करनी होगी। श्रमिकों के चाल-चलन व अनुशासन की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। खाने हेतु निर्देशित स्थान ही उपयोग में लिया जावेगा।

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है।





40. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना किसी सूचना के ठेका निरस्त किया जा सकता है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।
41. ठेका अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार को अपने कार्यकाल में नियोजित श्रमिकों की भविष्य निधि हेतु पोर्टल पर केवाईसी अप्रुव करनी होगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
42. संघ में कार्य के दौरान अगर कोई श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उससे सम्बन्धित सभी उत्तरदायित्व (खर्चा व अन्य सभी) ठेकेदार के होंगे। संघ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
43. ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि तथा बैंक गारन्टी/एफडीआर ठेका समाप्त होने के छः माह उपरान्त निम्न शर्तें पूर्ण करने पर लौटाई जा सकेगी:-  
 अ). ठेकेदार द्वारा ठेका समाप्ति पर पाँच सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इन्डेमिनिटी बॉण्ड इस आशय का कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कार्यरत कर्मिकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की बकाया, ब्याज, शास्ति, वसूली के लिए ठेकेदार/एजेन्सी वर्तमान व भविष्य में पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा एवं इस प्रकार की वसूली की सूचना यदि भविष्य निधि विभाग से अनुबन्ध अवधि में अथवा बाद में संघ को मिलती है तो उक्त की वसूली ठेकेदार/एजेन्सी से की जावेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त वसूली के लिए संघ कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने में स्वतन्त्र रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/एजेन्सी स्वयं की होगी। ठेके के अवधि समाप्त होने के बाद भी ईएसआई व पीएफ विभाग द्वारा ठेका अवधि का निरीक्षण किये जाने की स्थिति में भी ठेकेदार/एजेन्सी को अपने रिकार्डों को निरीक्षण करवाना होगा। ऐसे निरीक्षण के आधार पर यदि कोई उत्तरदायित्व बनता है तो वह ठेकेदार/एजेन्सी के द्वारा ही वहन किया जावेगा तथा शर्त सं० 34 के अन्तर्गत वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का वैधानिक दायित्व संघ का नहीं होगा। इससे संबंधित पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी। इस आशय का भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
 ब). श्रमिक ठेका समाप्ति के पश्चात ठेकेदार द्वारा सभी सम्बन्धित अनुभागों से ठेके की अवधि का बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
44. श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि में जमा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ईसीआर (ECR) प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त वैधानिक औपचारिकताओं के साथ कान्स्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एण्ड रेग्यूलेशन एक्ट से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने से सम्बन्धित मूल अभिलेखों का भी अवलोकन करवाना होगा तथा आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

नोट :-उपरोक्त सभी शर्तें मैंने/हमने पूरी तरह से पढ़कर समझ ली है तथा सभी शर्तें मुझे /हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पता :-

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है।

## BANK GUARANTEE FOR PERFORMANCE OF CONTRACT

This deed of guarantee made this \_\_\_\_\_ (twenty \_\_\_\_\_) by \_\_\_\_\_ hereinafter referred to the Bank, which shall unless repugnant to the context or the meaning thereof includes its legal representative, successors and assigns and the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH (hereinafter referred to as the GANGMUL) which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its legal representative, successors or assigns.

WHEREAS the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH has awarded a contract dated : \_\_\_\_\_ for Supply of skilled/unskilled & semi skilled labour as per the tender terms and conditions of SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH.

AND WHEREAS the Contractor has agreed to submit a performance security in the form of a bank guarantee to the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH as per the terms condition of Agreement contract which will be kept valid upto from the date of Bank Guarantee. AND WHEREAS, the bank and its duly constituted agent and officer has already understood the agreement contract made between the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH and the Contractor.

In consideration of the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH having agreed to award the contract on the contractor, we (the Bank-----), do hereby guarantee, undertake, promise and agree with the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH, its legal representatives, successors and assigns that the within name M/s \_\_\_\_\_ their legal representatives and assignees will faithfully perform and fulfill everything within the binding document and the agreement contract on their part to be performed or fulfilled, at the time (time being the essence of the contract) and in the manner herein provided do all obligations there under and we further undertake, and guarantee to make payment to SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH a sum of (as per page no. 1 of this tender form) in cases the contractor their legal representative and assignees do not faithfully perform and fulfill everything within the binding document and all contract order/terms and conditions on their part to be performed or fulfilled, at the time and in the manner herein provided and do not wilfully and promptly do all obligation there under.

In case the contractor fails to perform or fulfill the agreement as per the terms and conditions agreed upon, the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH is entitled to demand and amount (as per page no. 1 of this tender form) from the contractor and demand made by the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., HANUMANGARH itself will be conclusive evidence and proof that the contractor has failed to perform or fulfil his obligations under agreement

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य है ।

- 18 -

Sign. & Seal of Tenderer



contract and neither the contractor nor the Bank shall be entitled to raise any dispute regarding the reasons for the failure or performance of fulfilment on any ground whatsoever.

We the \_\_\_\_\_ Bank (Name & Address) do hereby undertake to pay an amount (as per page no. 1 of this tender form) being the amount due and payable under this guarantee, without any demur, merely on a demand from the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH stating that the amount claimed is due by way of non performance of the contractual obligations as aforesaid by the contractor failure to perform the said contractual commitments, any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee, however, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding (as per page no. 1 of this tender form).

We the Bank, further agree that the performance security herein contained shall remain in full force upto \_\_\_\_\_ from the date of Bank Guarantee or till the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH certifies that the terms and conditions of the said contract have been fully and properly carried out by the contractor and accordingly discharge the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing by the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH on or before We shall be discharged from all liabilities under this performance security hereafter.

We, \_\_\_\_\_ (Name & address of Bank), further agree with the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH that the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHIGRI SANGH LTD., HANUMANGARH shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the binding document and agreement contract or to extend the time of performance by the said contractor from time to time for any of the power exercisable by the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH contractor/transporter from time to time for any of the power exercisable by the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH against the contractor and do forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said binding document and the agreement contract and we shall be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said contractor/transporter, or for any forbearance, act omission on the part of the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH to the said contractor by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so relieving us.

This guarantee shall be in addition to and without prejudice to any other securities or remedies which the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH may have or hereafter possess in respect of the works executed or intended to the executed and the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH shall be under no obligation to marshal in favour of the bank any such securities or funds or asset that the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH may be entitled to receive or have a claim upon and the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

- 19 -

Sign. & Seal of Tenderer



LTD., HANUMANGARH at its absolute discretion may vary, exchange, renew, modify or refuse to complete to enforce or assign any security or instrument.

The bank agree that the amount hereby guaranteed shall be due to payable to the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH on serving us with a notice, requiring the payment of the amount and such notice shall be deemed to have been served on the bank either by actual delivery thereof to the bank or by despatch thereof to the bank by registered post at the address of the bank.

Any notice sent to the bank at its address by registered post shall be deemed to have been duly served on the bank not with standing that the notice may not in fact have been delivered to the bank.

In order to give the full effect to the provisions of this guarantee the bank hereby waives all rights inconsistent with the above provisions and which the bank might otherwise as a guarantor be entitled to claim and enforce.

We, \_\_\_\_\_ (Name & address of Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the SRI GANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., HANUMANGARH in writing and the guarantee shall be continuous and irrevocable guarantee upto a sum of (as per page no. 1 of this tender form). The Bank Guarantee shall be valid upto \_\_\_\_\_ unless a demand or claim in writing is made on us before \_\_\_\_\_. After it the guarantee will automatically cease the validity.

Place :

Date :

Signature

Seal

Code No.

मैने/हमने उपरोक्ता समस्त शर्ते पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

- 20 -

Sign. & Seal of Tenderer

अण्डर टैकिंग / शपथ पत्र

(500 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटरी प्रमाणित)

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_  
उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष, निवासी \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( राज0 ) का हूँ मैं शपथ पूर्वक यह अधिकार पत्र देता हू कि :-

1. यह है कि मैं श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ से प्राप्त ठेकों के निमित्त/सम्बन्धित किसी भी प्रकार के एरियर राशि/शास्ति राशि अथवा अन्य कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कम्पनशेसन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना पडता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरन्त जमा करा दूंगा।
2. यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हू कि पैरा एक में वर्णित राशि को भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते है।
3. यह है कि संघ को यह अधिकार देता हू कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली मेरी चल-अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण/बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरे वारिशान की कोई दखलअन्दाजी नहीं होगी।

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_  
उम्र \_\_\_\_\_ वर्ष, निवासी \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( राज0 ) का हूँ मैं शपथ पूर्वक तस्दीक करता हू कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य है तथा मैं अपने होश-हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हू। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता \_\_\_\_\_

नाम निविदादाता \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है।



**काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) व अनुबन्ध निरस्त नहीं होने हेतु प्रोफार्मा**

(100 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटरी प्रमाणित)

मैं निविदादाता \_\_\_\_\_ सुपुत्र श्री \_\_\_\_\_ उम्र  
\_\_\_\_\_ वर्ष, निवासी \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला

\_\_\_\_\_ ( राज0 ) यह शपथ पूर्वक सत्यापित घोषणा करता हू कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार या किसी भी संस्थान/समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हू/नहीं की गयी तथा मेरे /कम्पनी के द्वारा संघ अथवा राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया गया है, सिक्योरिटी राशि जब्त नहीं हुई है एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है **एवं न ही किसी विभाग द्वारा डिफाल्टर घोषित किया है** । यदि ऐसा पाया जाता है तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में स्वतन्त्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली है तथा मुझे/हमे मान्य है ।

- 22 -

**Sign. & Seal of Tenderer**



बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम हेतु प्रोफार्मा

(100 रुपये के स्टाम्प पेपर नोटरी प्रमाणित)

शपथ पत्र

मैं निविदादाता -----सुपुत्र श्री ----- उम्र  
-----वर्ष, निवासी -----तहसील-----जिला  
----- ( राज0 ) यह शपथ पूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हू कि मैं/हमारी  
कम्पनी, बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना करूंगा एवं उसके लिए  
उत्तरदायी रहूंगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य है ।

- 23 -

Sign. & Seal of Tenderer



श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ जंक्शन  
Tele No. 01552-260522

वित्तीय निविदा श्रमिक आपूर्ति हेतु

निविदा फॉर्म भाग - "ब" (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

- 01- निविदा सूचना क्रमांक व दिनांक : .....
- 02- निविदा का नाम : श्रमिक आपूर्ति हेतु कार्य ठेका।
- 03- निविदादाता का नाम : .....
- 04- निविदादाता के पिता का नाम : .....
- 05- निविदा प्रपत्र खोलने की-  
तिथि, समय, स्थान : .....
- 06- निविदादाता का :-  
(अ) स्थाई पत्राचार का पता : .....
- (ब) टेलिफोन/मोबाईल संख्या : .....

संलग्न निविदा शर्तों व विवरणानुसार एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ:-

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company		
<b>PRICE SCHEDULE</b> (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only )		
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #
Sl. No.	Particular	Service Charge (percentage)
1	2	13
1	Supply of Skilled/ Unskilled and Semi Skilled Labour	
1.01	Supply of Skilled/ Unskilled and Semi Skilled Labour	

Note :-

1. GST amout will be paid by SGNR Milk Union, Hanumangarh as per Government Norms.
2. Other taxes and duties if any shall be applicable as per rules to be born by bidder and included in quoted rate.

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़/सुन ली हैं तथा मुझे/हमें मान्य है ।

- 24 -

Sign. & Seal of Tenderer